



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 25.12.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1138/2024 धारा 140(2)/317(3) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त / ₹ 25,000 /- के पुरस्कार घोषित अपराधी को 4,000 /- रुपये की नगदी सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.12.2024 को सिने अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने थाना कोतवाली शहर पर अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के अपहरण के सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1138/2024 धारा 140(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया । थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उक्त घटना में संलिप्त 08 अभियुक्तगण 1.सार्थक चौधरी उर्फ रिककी 2.सबीउद्दीन उर्फ सैबी 3.अजीम 4.शशांक कुमार 5.शिवा 6.आकाश उर्फ गोला उर्फ दीपेन्द्र (25,000/- रुपये का ईनामी) 7.लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु (25,000/- रुपये का ईनामी) 8.अंकित उर्फ पहाडी (25,000/- रुपये का ईनामी) को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 25.12.2024 को थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1138/2024 धारा 140(2)/317(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शुभम पुत्र राकेश निवासी मौ0 चमरपेडा नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर अपनी माँ के साथ रोते हुए थाने आया और अपनी गलती मानते हुए थाना कोतवाली शहर पर आत्मसमर्पण किया ।

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम उपरोक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से अभियोग से संबंधित ₹ 4,000 /- बरामद किये गये । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

**नोट –** पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त शुभम उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु ₹ 25,000 /- का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शुभम पुत्र राकेश निवासी मौ0 चमरपेडा नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

₹ 4,000 /- नगदी

### अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 1138/2024 धारा 140(2)/317(3) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 1166/2024 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कोतवाली शहर बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 244/2024 धारा 138/140(2)/3(5)/308(2)/308(5)/317(2) बीएनएस थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना को0 शहर

दिनांक – 25.12.2024

**थाना को0 शहर पुलिस ने मु0अ0स0 1169/24 धारा 74/352/115(2)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.12.2024 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फुरकान उर्फ पहिया पुत्र मुश्ताक निवासी कांशीराम कालोनी ब्लाक न0 27 मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई व जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 1169/24 धारा 74/352/115(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 25.12.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फुरकान उर्फ पहिया उपरोक्त को घटना मे प्रयुक्त एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फुरकान उर्फ पहिया पुत्र मुश्ताक निवासी कांशीराम कालोनी ब्लाक न0 27 मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

### बरामदगी विवरण –

घटना मे प्रयुक्त अवैध चाकू

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त फुरकान उपरोक्त-

1. मु0अ0स0 0390/2020 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 197/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 477/2024 धारा 323/504/366/504 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 1062/2024 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0स0 1169/2024 धारा 74/352/115(2)/109(1) बीएनएस 4/25 आयुध अधि0 थाना को0शहर  
जनपद बिजनौर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम**

- 1.उ0नि0 अंकुरपाल थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 603 आदेश थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1475 अश्वनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना स्योहारा**

**दिनांक – 25.12.2024**

**थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0स0 614/24 धारा 69/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 22.12.2024 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.मोहसीम कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी उर्फ धाबा निवासी मौ0 कुरैशीयान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा अभियुक्तगण 2.नसीम कुरैशी, 3.नईमा पत्नी नसीम व 4.नसीमा पुत्री नसीम समस्त निवासीगण उपरोक्त द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच की गई व जान से मारने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 614/24 धारा 69/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



**कार्यवाही –**

आज दिनांक 25.12.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहसीम कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी उर्फ धाबा निवासी मौ0 कुरैशीयान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

मोहसीम कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी उर्फ धाबा निवासी मौ0 कुरैशीयान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1.म0उ0नि0 काजल तेवतिया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1111 हरीपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।